

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
मु0नं0-09/2019

उनवान -सरकार बनाम सोहनलाल पुत्र पप्पूमल (सोनू मावा एवं पनीर एवं मावा स्टोर बाडी)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -14.12.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र पप्पूमल जाति वैश्य निवासी छपेटीपाडा बाडी जिला धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 सोनू मावा एवं पनीर स्टोर सीताराम बाजार बाडी) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.06.2017 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स सोनू मावा एवं पनीर स्टोर सीताराम बाजार बाडी का निरीक्षण करने के दौरान दुकान से लगभग 05 किलो ग्राम पनीर जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर में से एक किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त एक किलो ग्राम पनीर नमूना डी-1377 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 09.08.2017 के अनुसार उक्त पनीर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपरिधत हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नवृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संस्था एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र पप्पूमल जाति वैश्य निवासी छपेटीपाडा बाडी जिला धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 सोनू मावा एवं पनीर स्टोर सीताराम बाजार बाडी) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 5,000/-रुपये (पाँच हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)